प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ...264/23.... दिनांक .....5/10/2023.........

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट1988 धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित–2018)
(2) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ......86...... समय ....7:10 pm............
(2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 04–10–2023 समय 01.16 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.09.2023 समय 04.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : – सांबला बस स्टेण्ड डॅगरपुर।
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 525 किलोमीटर
(2) पता –
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री देवीलाल मीणा
(2) पिता का नाम : गौतम मीणा
(3) आयु : 42 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : मछली पालन का व्यवसाय
(7) पताः रागेला जिला डूंगरपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
श्री रमण मीणा पुत्र श्री कचराजी उम्र 38 वर्ष निवासी गांव बोडीगामा बडा तहसील व पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा, पंचातत समिति सांबला, जिला डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा –20,000/– आरोपी श्री रमण मीणा पुत्र श्री कचराजी उम्र 38 वर्ष निवासी गांव बोडीगामा बडा तहसील व पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूॅगरपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग कर परिवादी श्री देवीलाल मीणा को ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा के अधीन दीतिया तालाब एवं जलारिया तालाब की स्वीकृति प्रदान करने की एवज में दौराने मांग सत्यापन फर्दन–फर्दन 20 हजार रुपये रिश्वत के ग्रहण करना एवं दिनांक 04.10.2023 को शेष रिश्वती राशि 20 हजार रुपये ग्रहण करते वक्त रंगे हाथो पकडा जाकर आरोपी से रिश्वती राशि 20 हजार रुपये जब्त किये गये।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 20,000 रुपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

[redacted]

महोदय

हालात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 21-09-2023 को ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर परिवादी श्री देवीलाल पुत्र गौतम मीणा निवासी रागेला जिला डूंगरपुर ने एक शिकायत प्रस्तुत की कि '' मैं देवीलाल पुत्र गौतम मीणा निवासी रागेला जिला डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। मैं तालाब से मछली के ठेके लेने का कार्य करता हु। मैने मेरे स्तर से जानकारी की तो ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा में स्थित दितीया तालाब व जलरिया तालाब दो तालाबो के ठेके होने की जानकारी प्राप्त हुई मैने पहले भी ठेके अन्य ग्राम पंचायत से ठेके लिए है ठेके लेने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच के लेटर पेड पर स्वीकृति जारी होती है और उसी स्वीकृति पर ही सरकारी राशि का अंकन होता है। मैं बोडीगामा बडा पंचायत के सरपंच श्री रमण मीणा से मिला तो उन्होने मुझे कहां कि दो तालाबो के ठेके के 1.50 लाख रूपये की मांग की जिस पर मैने उनको थोडी राशि कम करने को कहां तो वो 50 हजार रूपये के लिए तैयार होकर जिसमें से 40 हजार रूपये देने तय हुआ। मैने उनको सरकारी राशि के बारे में पूछा तो उन्होने कहां की पांच-पांच हजार रूपये लेटर पेड पर स्वीकृति में अंकित कर दूंगा बाकी के 30 हजार रूपये अलग से देने पडेगें जिसकी में ना ही कोई रसीद नहीं लेटर पेड पर लिख कर दूंगा।'' ब्यूरो इकाई बांसवाडा का अतिरिक्त प्रभार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होने एवं परिवादी की लिखित रिपोर्ट से जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात से अवगत कराने एवं मामले से ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो इकाई बांसवाडा के श्री महेशचन्द्र कानि. का परिवादी से रिपोर्ट प्राप्त अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन करने के निर्देश दिये जिस पर श्री महेश कुमार कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि '' श्रीमान् के निर्देशानुसार परिवादी श्री देवीलाल पुत्र गौतम मीणा निवासी रागेला जिला डूंगरपुर ने उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतू मुझ कानि द्वारा ब्यूरो ईकाई के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नई मेमोरी कार्ड डाल परिवादी को इसके संचालन की प्रक्रिया समझाई एवं आदि निर्देश अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के कम में डिजीटल टेप रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री देवीलाल मीणा की रिपोर्ट पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु दिनांक 21-09-2023 को समय करीबन 02.54 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नं. 9602030696 का लाउड स्पीकर ऑन कराकर संदिग्ध सरपंच श्री रमण मीणा के मोबाईल नं 9587375144 पर संदिग्ध सरपंच की लोकेशन ज्ञात करने कॉल करवा वार्ता कराई गई जिसे मेरे द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की वार्तानुसार '' परिवादी द्वारा संदिग्ध सरपंच से वार्ता कर परिवादी ने संदिग्ध सरपंच की लोकेशन पूछ मिलने हेतू कहां तो संदिग्ध सरपंच द्वारा परिवादी को दो दिन चार दिन बाद आने का कहां तो परिवादी ने अपने ही स्तर पर संदिग्ध सरपंच को बाकी कितने रहेंगे अगर दस रोकड दे दू तो बात कही तो संदिग्ध सरपंच द्वारा शेष राशि के बारे में तीस कहने पर परिवादी द्वारा ठिक है कहां। तत्पश्चात मैं मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु समय करीबन 03.00 पीएम पर परिवादी के साथ ब्यूरो ईकाई से रवाना होकर समय करीबन 04.20 पीएम पर साबला कस्बे पहुचे जहां पर मेरे द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर से संदिग्ध सरपंच के मोबाईल लोकेशन जानने हेतू वार्ता कराई तो संदिग्ध सरपंच द्वारा परिवादी को बस स्टेण्ड के पास माताजी की तरफ वाले रास्ते पर नाई की दुकान पर बुलाया। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपूर्द कर नाई की दुकान की ओर रवाना किया। जहां पर परिवादी द्वारा आरोपी से वार्ता करवाई गई तो दौराने वार्ता संदिग्ध सरपंच द्वारा 10,000 रूपये परिवादी के दितिया तालाब व जलारीया तालाब पर मत्स्य ठेके के कार्य के लिए जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को 10,000 रूपये की रसीद के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि ये दस हजार रूपये मैने सरपंच को उसके लेटर पेड पर मेरे दोनो ठेको के पेटे सरकारी राशि पांच-पांच हजार रूपये दिए है शेष रिश्वत राशि 30 हजार रूपये में सरपंच को मेरे स्वीकृति लेटर पेड पर जारी करने के बाद दूंगा। तत्पश्चात मेरे द्वारा परिवादी श्री देवीलाल मीणा को मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो ईकाई पर दिनांक 25.09.2023 को प्रातः 10.00 एएम पर आने की हिदायत देकर वहीं से रवाना किया एवं मैं वहां से रवाना हो समय करीबन 06.30 पीएम पर ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित होकर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी की रिपोर्ट मैने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा।'' श्री महेश कानि. द्वारा बताये गये रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के अंश अनुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन की पुष्टी होने एवं मामला ट्रेप कार्यवाही का होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द्र कानि. को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं परिवादी की रिपोर्ट एवं ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। तत्पश्चात दिनांक 25-09-2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहुंचा जहां पर श्री महेशचन्द्र कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री देवीलाल की लिखित रिपोर्ट एवं ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत किया गया।

जिसका अवलोकन किया गया तो रिश्वती राशि मांग की पुष्ट हुई । इसी दौरान ट्रेप समय करीबन 10.20 एएम पर जरिये दूरभाष से पूर्व में पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द सिंह खींची पुत्र श्री शिवदयाल खीची जाति खटिक उम्र 59 साल निवासी चौरसीयावास रोड वैशाली नगर कृषि भवन के पास अजमेर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज कार्यालय बांसवाडा मोबाईल 9829447446 एवं श्री रामचन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री देवी सिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 30 निवासी बाई का गडा बांसवाडा हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज कार्यालय बांसवाडा मोबाईल नंबर 8078652692 जिन्हे मन् अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बिठाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द्र कानि.संदिग्ध संरपच द्वारा परिवादी से मछली ठेके की स्वीकृति लेटर पेड पर जारी करने की एवज में रिश्वती राशि 30 हजार रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई हैं। किन्तु परिवादी की लिखित रिपोर्ट मे परिवादी द्वारा ठेके लेने की सम्बन्ध में कोई दस्तावेज, आवेदन पत्र वगैराह प्रस्तुत नहीं किये गए है परिवादी आने पर इस सम्बन्ध में पृथक से दरियाफ्त की जाएगी। समय 11.30 एएम तलबशुदा परिवादी श्री देवीलाल मीणा ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित हुआ जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने बताया की मै केवल साक्षर होने से पढ-लिखने में असमर्थ होने से मैने रिपोर्ट अपने परिचित श्री नारायण लाल पुत्र श्री कांजी मीणा निवासी गांव माल कस्बा नवापादर जिला डूंगरपुर से लिखाना एवं उस पर स्वंय के साक्षर होने से हस्ताक्षर होने तथा लिखित रिपोर्ट पर नारायण लाल द्वारा स्वंय रिपोर्ट लिखने का भी अंकन होने की ताईद की परिवादी से मजीद पूछताछ की गई तो बताया कि मैने अन्य ग्राम पंचायत से ठेके लिए है ठेके लेने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच के लेटर पेड पर स्वीकृति जारी करता है और उसी स्वीकृति पर ही सरकारी राशि का अंकन होता है। कभी कभार ग्राम पंचायत रसीद भी देती है जो रसीद दो-तीन हजार रूपये की ही होती है। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से ग्राम पंचायत में मछली ठेके लेने के लिए आवेदन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया की ग्राम पंचायत स्तर पर मछली ठेके के लिए प्रकिया अनुसार 10,000 हजार से कम आय वाली तालाबो के मछली ठेका के लिए ग्राम पंचायत नीलामी प्रकिया अपनाकर ठेका दिया जाता है किन्तु उक्त ग्राम पंचायत सरपंच नियम विरूद्व स्वीकृति जारी करने की एवज में मुझसे 1.50 लाख रूपये की मांग की थी मेरे काफी हाथा जोडी करने पर सरपंच साहब 50 हजार रूपये लेने पर राजी हो गए तो मैने कुछ और कम करने की बात की किन्तु 40 हजार रूपये लेने तैयार हो गए उसके बाद दिनांक 21.09.23 को मैने सरपंच साहब को 10 हजार रूपये सरपंच को मत्स्य ठेका जारी करने के लेटर पेड पर पांच-पांच हजार रूपये सरकारी राशि दे दी है अब सरपंच साहब मुझे स्वीकृति जारी करने की एवज में 30 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग की जा रही है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिपोर्ट श्री नारायण लाल से लिखाने के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया की श्री नारायण लाल गांव माल रहने वाले है जो मेरे विश्वास पात्र होकर मेरे द्वारा किसी भी कार्य की लिखा पढी वही करते है इसलीए ये रिपोर्ट भी मैने उन्ही से लिखाई है उन्होने मुझे इस बारे में कुछ नही पूछा और नाही मैनें उनको कुछ बताया। तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में बिठाये गए स्वतंत्र गवाह को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर उपस्थित परिवादी श्री देवीलाल मीणा का स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द खीची क्षैत्रीय वन अधिकारी व श्री रामचन्द्र सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी का आपस में परिचय करा कर परिवादी को अवगत कराया की दोनो गवाह अपनी इस कार्यवाही में बतौर सरकारी गवाह उपस्थित रहेंगे। जिस पर मन् अति पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाह को परिवादी श्री देवीलाल द्वारा करवाई जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक स्वीकृति चाही गई तो दोनो गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति जाहिर की गई जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दोनो गवाह के समक्ष पढकर सुनाई गई तो परिवादी द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही रिपोर्ट अपने परिचित श्री नारायण लाल से लिखवा कर एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होने की ताईद की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो के हस्ताक्षर करवाए। परिवादी एवं गवाह के समक्ष ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर जिसमे दिनांक 21.09.2023 को मौजुद रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो उसमें परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज संदिग्ध सरपंच की होना ताईद की। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द्र कानि को कार्यालय में तलब किया गया एवं उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष कार्यालय कम्प्युटर से कनेक्ट करा दिनांक 21.09.2023 को समय करीब 2.54 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 21.09.2023 को समय करीब 04.22 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 21.09.2023 को समय करीब 04.25 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को पृथक-पृथक चला कर उनकी फर्द ट्रांसक्रिप्टे मुर्तिब करा सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए एवं उक्त वार्ताओ की दो सीडीयां बनाई जाकर दोनो पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक सीडी को प्लास्टिक के सीडी कवर में रख कपडे की थैली में रख कर

सीलचीट की मार्क सी–1 अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की लिखीत रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड वार्ता अनुसार मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाता है किन्तु परिवादी के पास ग्राम पंचायत से मत्स्य पालन ठेके के स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है और नाही परिवादी पढा लिखा है ग्राम पंचायत द्वारा मत्स्य पालन ठेका जारी करने हेतू निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए किन्तु संदिग्ध सरपंच द्वारा बिना प्रक्रिया पूर्ण किए अपने लेटर पेड पर स्वीकृति जारी करने की एवज में 30 हजार रूपये की मांग की जा रही है। अतः मामले में परिवादी के कार्य के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से जारी शुदा कोई दस्तावेज या परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किया हो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्राप्त कर परिवादी के कार्य लम्बित होने से सम्बन्धित कोई प्रमाण नहीं होने से एवं संदिग्ध सरपंच द्वारा परिवादी को लेटर पेड पर लिखकर दिया जाने का आश्वासन दिया जा रहा है इस सम्बन्ध में मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही रिश्वती राशि मांग एवं संदिग्ध सरपंच द्वारा दिया जाने वाला वांछित लेटर पेड प्राप्त कर ही अग्रिम कार्यवाही की जाना उचित प्रतित होने से उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही श्री महेश कानि को तलब कर परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतू मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के रवाना समय करीबन 03.40 पीएम पर किया गया तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित गवाहान श्री गोविन्द खीची क्षैत्रीय वन अधिकारी व श्री रामचन्द्र सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी को मामले की गोपनीयता बनाए रखने एवं आवश्यक हिदायत देकर रवाना किए गए। तत्पश्चात समय 09.50 पीएम पर श्री महेश कानि ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर उपस्थित होकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मै और परिवादी दोनो यहां से रवाना होकर समय करीबन 06.12 पीएम पर संदिग्ध सरपंच द्वारा परिवादी को कस्बा पुंजपुर पहूचे जहां मेरे द्वारा परिवादी को संदिग्ध सरपंच की लोकेशन ज्ञात करने हेतू परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध सरपंच के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध द्वारा परिवादी को बस स्टेण्ड पर बुलाया उक्त वार्ता को भीड–भाड क्षेत्र होने के कारण डिजीटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड नहीं कर पाया फिर मेरे द्वारा परिवादी को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया पुनः समझाई जाकर रिकार्डर चालु कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर समय करीबन 06.13 पीएम पर रवाना किया मै वहीं पर अपनी उपस्थिति छुपाए हुए परिवादी के पुनः आने के इन्तजार में खडा रहा था कि समय करीबन 06.45 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया मैने परिवादी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर उसे बन्द किया एवं परिवादी से पूछा तो परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी और सरपंच की आपस में वार्ता हुई वार्तानुसार मैने सरपंच साहब को 10 हजार रूपये और दिए तो सरपंच द्वारा मुझे दोनो दितिया तालाब व जलारिया तालाब के ठेके पेटे 5–5 हजार रूपये प्राप्त करना एवं तालाबो पर मत्स्य ठेका की स्वीकृति के सम्बन्ध में लेटर पेड पर सरपंच द्वारा अपनी पद मोहर पर हस्ताक्षर कर मुझे दिया है तथा सरपंच ने मुझसे शेष रिश्वती राशि 20 हजार रूपये की ओर मांग की तो मैने अपने व्यवस्था अनुसार तीन–चार दिन में देने हेतू कहां मैने परिवादी को आपके निर्देशानुसार वहीं से कल दिनांक 26.09.23 को प्रातः 8.00 बजे ब्यूरो ईकाई पर मय संदिग्ध सरपंच द्वारा दिया गया लेटर पेड एवं संदिग्ध सरपंच को रिश्वत में दी जाने वाली शेष रिश्वती राशि 20 हजार रूपये साथ लेकर उपस्थित होने की हिदायत के रूखसत किया जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहो को कल दिनांक 26.09.23 को प्रातः 08.00 बजे ब्यरो ईकाई बांसवाडा उपस्थित आने की हिदायत दी गई एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो संदिग्ध द्वारा परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वती राशि मांग कर ग्रहण करना तथा शेष रिश्वती राशि 20 हजार तीन–चार दिन में परिवादी व्यवस्था अनुसार मांग करने की पुष्टि हुई एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा सीलचिट आर्टिकल ब्यूरो ईकाई मालखाना में मालखाना प्रभारी श्री राजेश कुमार कानि. 555 से सुरक्षित हिदायतन रखवाए गए।

तत्पश्चात दिनांक 26.09.2023 समय 12.20 पीएम पर तलबशुदा परिवादी श्री देवीलाल मीणा एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द खीची व श्री रामचन्द्र सिंह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष कल दिनांक 25.09.23 को संदिग्ध सरपंच द्वारा लेटर पेड पर दी गई स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतू कहा तो परिवादी द्वारा संदिग्ध सरपंच द्वारा जारी मत्स्य ठेके स्वीकृति लेटर पेड प्रस्तुत किया जिसे मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद अवलोकन स्वतंत्र गवाह के समक्ष जरिये फर्द पेशकशी के वजह सबुत जप्त किया। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो को डिजीटल टेप रिकॉर्डर कार्यालय अलमारी से निकलवाया जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड दिनांक 25.09.23 समय करीबन 06.13 पीएम पर हुई वार्ता को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष चलाकर सुना गया। तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी द्वारा वार्ता में एक आवाज स्वंय की एक आवाज संदिग्ध सरपंच की होने की ताईद की स्वतंत्र गवाह द्वारा भी रिश्वती राशि मांग सत्यापन की ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 12.45 पीएम पर श्री महेशचन्द्र कानि को

कार्यालय में तलब किया गया एवं उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष कार्यालय कम्प्युटर से कनेक्ट करा दिनांक 25.09.2023 को समय करीब 06.13 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को चला कर उसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब करा सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए एवं उक्त वार्ता की दो सीडीयां बनाई जाकर दोनो पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक सीडी को प्लास्टिक के सीडी कवर में रख कपडे की थैली में रख मार्क सी-2 अंकित कर सीलचींट कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। तत्पश्चात **समय** 02.00 पीएम **पर** मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष संदिग्ध सरपंच को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 20 हजार रुपया पेश करने हेतु कहने पर परिवादी द्वारा मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की मेरे पास 20 हजार रूपये ही थे जो मैने सरपंच को दे दिए है अभी मेरे पास राशि की व्यवस्था नही हो सकी मै तीन चार दिन में उक्त रिश्वत राशि की व्यवस्था करके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही रिश्वती राशि की व्यवस्था होने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक या श्री महेशचन्द्र कानि को जरिये दूरभाष सूचित करने की हिदायत देकर रुखसत किया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी मामले की गोपनीयता बनाए रखने एवं तलब करने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय में पहुचने की हिदायत के रवाना किया। परिवादी के रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय हाजिर होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। मामले हाजा में अब तक की गई कार्यवाही की पत्रावली एवं ब्यूरो डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री हरभजन सिंह, कनिष्ठ सहायक को गोपनीयता रखने की हिदायत के सुरक्षित कार्यालय अलमारी में रखवाई तथा सीलचिट आर्टिकल ब्यूरो ईकाई मालखाना में मालखाना प्रभारी श्री राजेश कुमार कानि. 555 से सुरक्षित हिदायतन रखवाए गए। तत्पश्चात दिनांक 27.09.2023 को श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया कि दिनांक 27.09.2023 को परिवादी श्री देवीलाल का फोन आया और मुझे बताया कि मुझसे आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 20 हजार रुपये की व्यवस्था नहीं हुई है व्यवस्था होते हीं मैं अवगत् करा दूंगा। मैने परिवादी को रिश्वती राशि की शीघ्र व्यवस्था कर मामले की गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये थे। दिनांक 30.09.2023 को को श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया कि मैने परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने कुछ रुपये की और व्यवस्था होना बाकी बताया। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को निर्देशानुसार हिदायत दी गई।

तत्पश्चात उसके बाद दिनांक 02.10.2023 को को श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया कि परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी द्वारा 15 हजार रुपये की व्यवस्था होना तथा शेष राशि 5 हजार रुपये की व्यवस्था एक-दो दिन में करने के लिये कहा। तत्पश्चात दिनांक 03.10.2023 को श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया कि मैने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने मुझे बताया कि उसके पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 20 हजार रुपये की व्यवस्था हो गई है और परिवादी ने अपने स्तर से संदिग्ध सरपंच से सम्पर्क किया तो संदिग्ध सरपंच द्वारा परिवादी को कल दिनांक 04.10.2023 को दोपहर 01 बजे बाद पंचायत समिति साबला मिटींग समाप्त होने के बाद साबला बस स्टेण्ड पर मिलने हेतु कहा गया।

तत्पश्चात दिनांक 04-10-2023 को समय 10.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन चालक के ब्यूरो इकाई डंगरपुर पहुंचा जहां **पर** इमरोजा अग्रिम कार्यवाही के कम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गजेन्द्र सउनि, श्री पुष्कर लाल हैड कानि मय सरकारी वाहन चालक के इस समय ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहूंचा जहां पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर एवं ब्यूरो इकाई बांसवाडा से तलबिदा जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्रसिंह व श्री रामचन्द्रसिंह एवं परिवादी श्री देवीलाल के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द्र कानि को कार्यालय में तलब किया गया तो महेशचन्द्र कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया निर्देशानुसार इमरोजा मैं मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो इकाई बांसवाडा का जाप्ता मय सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के समय करीब 08.15 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना हो समय करीब 09.50 एएम पर पुनाली पहूंचे जहां पर परिवादी श्री देवीलाल को पुनाली कस्बे से हमराह लेकर समय करीब 10.10 एएम पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहूंचे है। आज जो स्वतंत्र गवाह आये है उसमें से एक गवाह श्री राजेन्द्रसिंह राठौड क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय उपवन संरक्षक बांसवाडा जो कि पूर्व स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द खींची, क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कार्यालय बांसवाडा के न्यायालय शहादत में होने से उनके स्थान पर आये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री महेशचन्द्र कानि द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही की पत्रावली प्रस्तुत की गई। समय 10.45 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्रसिंह को कार्यालय में तलब कर ब्यूरो द्वारा की जा

रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु कहा गया तो गवाह द्वारा अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। जिस पर मन् पुलिस अधीक्षक द्वारा दुसरे स्वतंत्र गवाह श्री रामचन्द्रसिंह एवं परिवादी श्री देवीलाल को कार्यालय में तलब किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्रसिंह के समक्ष परिवादी पूर्व में प्रस्तुत शुदा रिपोर्ट पढकर सुनाई गई एवं स्वतंत्र गवाह राजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर परिवादी की रिपोर्ट पर करवाये गये तथा श्री राजेन्द्रसिंह को पूर्व की गई कार्यवाही से अवगत् कराया गया। **समय 10.55 एएम पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवीलाल को संदिग्ध सरपंच रमण मीणा को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि प्रस्तुत करने हेतु कहने पर परिवादी देवीलाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बाबुलाल कानि को कार्यालय में तलब कर उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान से परिचय कराया जाकर श्री बाबुलाल कानि से कार्यालय की अलमारी में रखी फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवायी जाकर कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर श्री बाबुलाल कानि से परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटो को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कुछ नहीं रहते हुए रखवाये गये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष फिनॉफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर बतलाई जाकर इसके मन्तव्य से अवगत् कराया गया एवं उपस्थित स्वंतत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को रिश्वत राशि दे चुकने के बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अथवा ब्यूरो टीम को देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरने का ईशारा अथवा श्री महेशचन्द्र कानि के मोबाईल पर मिस कॉल करने का ईशारा समझाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी एवं सुपूर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय** 11.25 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही के कम में ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह सउनि मय डिजीटल टेप रिकोर्डर, श्री गणेशलाल हैड कानि. 20, श्री धीरेन्द्रसिंह कानि 546 श्री राजेश कानि. 555, श्री नारायणलाल सप्रअ एवं श्री महेशचन्द्र कानि 394 के साथ परिवादी श्री देवीलाल मीणा को हिदायतन साबला कस्बे की ओर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के सरकारी वाहन से तथा श्री अरविन्दसिंह हैड कानि 128, श्री पुष्करलाल हैड कानि 120 स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्रसिंह, श्री रामचन्द्रसिंह, श्री वीर विक्रमसिंह 189, श्री पंकज कानि 551, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक 657 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा सरकारी वाहन से आगे रवाना कर पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गजेन्द्र सउनि ब्यूरो इकाई उदयपुर के सरकारी वाहन मय चालक के रवाना कस्बा साबला के लिये हुआ। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से रवाना शुदा समय करीबन 12.45 पीएम पर अपने-अपने वाहनों से पूंजपुर के पास पहुंचें जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध सरंपच की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध सरपंच के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध सरपंच द्वारा परिवादी को साबला बस स्टेण्ड पर बुलाया गया उक्त वार्ता को प्रक्रियानुसार ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उसके बाद पूंजपुर से रवाना हो साबला के पास पहुंचे। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवीलाल को रिश्वत लेनदेन वार्ता हेतु डिजिटल टेप रिकॅार्डर की संचालन की विधि समझाई जाकर मय श्री महेश चन्द्र कानि. के बस स्टेण्ड साबला की ओर रवाना कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक सरकारी वाहन स्वीफ्ट डिजायर से उतर कर सरकारी वाहन ट्वेरा से एवं अन्य जाप्ता अपने सरकारी वाहन से साबला बस स्टेण्ड पहुंचे और अपने-अपने वाहनों को साईड में खडे कर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। समय करीब 01.40 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल ने बस स्टेण्ड साबला पर बनी शिवम रेस्टोरेन्ट होटल के बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। ईशारा मिलने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॅार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने होटल में बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही श्री रमण मीणा सरपंच साहब हैं, जिन्होने अभी-अभी मुझसे रिश्वत में ली जाने वाली राशि 20,000 रूपये लिये और अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रमण पिता श्री कचरा जाति मीणा, उम्र 38 वर्ष, निवासी गांव बोडीगामा बडा, तहसील साबला जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा, तहसील साबला जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री रमण मीणा को परिवादी से रिश्वत में ली गयी राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कुछ नहीं बोलते हुए मौन रहा। शिवम होटल साबला मेन बस स्टेण्ड के पास होने से, आमजन

[redacted]

की काफी आमद रफत हैं एवं आरोपी इसी इलाके का जनप्रतिनिधि होने के कारण कानून व्यवस्था स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना के मध्यनजर मौके पर भीड़-भाड़ होने की सम्भावना को देखते हुए मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच को यथा स्थिति सरकारी वाहन से लेकर पुलिस थाना साबला, जिला डूंगरपुर पहुंचा। जहॉ पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच से पुनः परिवादी श्री देवीलाल से 20,000 रूपये रिश्वत् राशि लेने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नहीं ली हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री देवीलाल ने बताया कि सरपंच साहब झूठ बोल रहे हैं। इन्होने मुझे मत्स्य पालन के लिए दो तालाब ठेके पर देने लिए 40,000 रूपये की मांग की थीं। जिसमें से 20,000 रूपये इन्होने पूर्व दो बार में 10,000-10,000 रूपये प्राप्त कर लिये तथा शेष रिश्वत राशि साबला बस स्टेण्ड पर स्थित होटल में मेरे से 20,000 रूपये लिये और अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा दिनांक 21.09. 2023 तथा 25.09.2023 को परिवादी श्री देवीलाल से सत्यापन के दौरान दस-दस हजार रूपये रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त किये है जिसकी वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया हैं। आप चाहे तो उसे सुन सकते हैं। जिस पर सरपंच श्री रमण मीणा ने कहा कि साहब गलती हो गई ये व्यक्ति मुझसे पंचायत के तालाब ठेके पर लेना चाह रहा था। नियम से ठेके पर देने पर ज्यादा पैसे लगते लेकिन मैने इसको फायदा पहुचाने के लिए कम पैसों में इससे बातचित की थीं तथा विश्वास होने पर ही इससे ये पैसे लिये थे। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रक्रियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलासों को निकलवाकर उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनों स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के घोल में आरोपी श्री रमण मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी, आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री रमण मीणा के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री रामचन्द्र सिंह से आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिन्हें दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र सिंह एवं रामचन्द्र सिंह से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये मिले, जिन नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटों को सफेद कागज में सिलचिट कर दोनों गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके उपरांत आरोपी श्री रमण मीणा के पहने हुए पेंट की सामने की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से बाजार से अन्य लोवर मंगवाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर आरोपी को लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनों स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री रमण मीणा की पेंट (जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई) की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग मटमेला हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की सामने की दाहिनी जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तलाशी के दौरान परिवादी का वीवो कम्पनी का मोबाईल मिला जिस पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मूर्तिक कर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। **समय 04.10 पीएम पर** इस समय मन्

[redacted]

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री देवीलाल मीणा एवं श्री करणसिंह सउनि के पुलिस थाना साबला से घटना स्थल निरीक्षण हेतु साबला बस स्टेण्ड की ओर रवाना हुआ। समय 04.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी श्री देवीलाल मीणा एवं श्री करणसिंह सउनि के बाद निरीक्षण घटना स्थल पुलिस थाना साबला उपस्थित हुआ। मूर्तिबा शुदा नक्शा मौका संलग्न पत्रावली किया। तत्पश्चात **समय** 04.30 पीएम पर मौके पर और कोई कार्यवाही शेष नहीं है मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा के ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार जैन को ब्यूरो इकाई डूंगरपुर मय ग्राम पंचायत के रिकोर्ड के उपस्थित होने हेतु हिंदायत कर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के लिये अलग-अलग वाहनों से ब्यूरो जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी मय जप्त शुदा आर्टीकल एवं आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच के रवाना ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के लिये हुआ। **समय 06.00 पीएम पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री गजेन्द्र सउनि मय सरकारी वाहन ब्यूरो इकाई उदयपुर तथा श्री अरविन्दसिंह हैड कानि, श्री गणेशलाल हैड कानि, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री देवीलाल, श्री वीर विक्रमसिंह कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक जरिये सरकारी वाहन बोलेरो तथा श्री पुष्करलाल हैड कानि, श्री नारायणलाल सप्रअ, श्री राजेश कुमार कानि, श्री पंकज कानि, श्री महेशचन्द्र कानि मय डिटेन शुदा आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच जरिये ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स, जप्तशुदा रिश्वती राशि मय मालखाना आर्टीकल के पुलिस थाना साबला से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहूंचे। समय 06.15 पीएम पर तलबिदा शुदा श्री विनोद कुमार जैन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री विनोद कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत रिकोर्ड क्रमशः बैठक कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम सभा रजिस्टर, दीतिया तालाब के संधारण की पत्रावली एवं कार्यालय ग्राम पंचायत बोडीगामा की रसीद बुक संख्या 01 प्रस्तुत की गई जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही श्री विनोद कुमार जैन को जलारिया तालाब की पत्रावली के बारे में पुछा गया तो श्री विनोद कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत बोडीगामा में जलारिया तालाब की कोई पत्रावली या रजिस्टर संधारित नहीं किया जाता है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री विनोद कुमार जैन ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत द्वारा मत्स्य पालन ठेके की प्रकिया के बारे में पुछा तो श्री जैन द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मत्स्य पालन ठेका देने के लिये नियमानुसार निविदा जारी करने के उपरान्त ही दिया जाता है। निविदा जारी करने से पूर्व में मत्स्य पालन ठेके के संबध में प्रस्ताव कोरम में रखा जाकर प्रस्ताव का इन्द्राज ग्राम सभा व बैठक कार्यवाही रजिस्टर में किया जाता है किन्तु उक्त दोनो तालाबों के मत्स्य पालन ठेके संबंधी कोई प्रस्ताव कोरम में नहीं लिया गया है और न ही इसका इन्द्राज उक्त दोनो रजिस्टर में किया गया है। जबकि नियमानुसार पंचायत समिति द्वारा गठित निविदा कमेटी के प्रमाणीकरण के पश्चात् वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है जिस पर ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच तथा कमेटी अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। बगैर निविदा किसी को ठेके देने का अधिकार नहीं है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जैन को आरोपी सरपंच श्री रमण मीणा द्वारा परिवादी देवीलाल को जारी कार्यालय ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला के लेटर पेड क्रमांक 03 दिनांक 25.09.2023 दिखाया तो श्री जैन द्वारा बताया गया कि उक्त लेटर पेड सरपंच द्वारा अपना निजी लेटर पेड पर जारी किया गया है जिसका राजस्व रिकोर्ड में कोई अंकन नही है। ग्राम पंचायत का अधिकृत नही होकर फर्जी लेटर पेड जारी होना जाहिर किया है। उक्त दस्तावेज मूल ही उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पृथक से जरिये फर्द पेशकसी एवं जप्ती के कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात समय 07.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री विनोद कुमार जैन ग्राम विकास अधिकारी एवं आरोपी श्री रमण मीणा के समक्ष आज समय करीब 12. 45 पीएम पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच के मोबाईल पर करावायी गई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया, जिसे उपस्थितिन के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो परिवादी ने उसमें एक आवाज स्वंय की एवं आरोपी ने एक आवाज अपनी स्वंय की होने की ताईद की तथा उपस्थित श्री विनोद कुमार जैन ने भी एक आवाज सरपंच श्री रमण मीणा की होना ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकोर्डर को लेपटॉप से श्री महेशचन्द्र कानि से कनेक्ट करवा वार्ता की समय 06.59 पीएम पर 02 सीडी बनवायी जाकर दोनो पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये एवं एक सीडी को सीडी कवर में रखवा कपडे की थैली में सीलबंद करवा मार्क सी-3 अंकित कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये एवं वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मूर्तिक कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 07.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री विनोद कुमार जैन ग्राम विकास अधिकारी एवं आरोपी श्री रमण मीणा के समक्ष आज समय करीब 01.20 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल एवं आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच के मध्य हुई

रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया जिसे उपस्थितिन के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो परिवादी ने उसमें एक आवाज स्वंय की एवं आरोपी ने एक आवाज अपनी स्वंय की होने की ताईद की तथा उपस्थित श्री विनोद कुमार जैन ने भी एक आवाज सरपंच श्री रमण मीणा की होना ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकोर्डर को लेपटॉप से श्री महेशचन्द्र कानि से कनेक्ट करवा वार्ता की 02 सीडी बनवायी जाकर दोनो पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये एवं एक सीडी को सीडी कवर में रखवा कपडे की थैली में सीलबंद करवा मार्क सी–4 अंकित कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये एवं लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मूर्तिक कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। **तत्पश्चात समय 08.15 पीएम पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 16 जीबी बरंग काला को मेमोरी कार्ड कवर में रखवा एक कपडे की थैली में सीलचीट करवा मार्क– एम अंकित करा चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर करवा जरिये फर्द जप्त किया जाकर फर्द पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 08.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वंतत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमण मीणा पुत्र श्री कचराजी जाति मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी बोडीगामा बडा तहसील व पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988(यथा संशोधित 2018) प्रमाणित होने से धारा 41(1) जा.फौ. प्रावधान अनुसार चैक लिस्ट तैयार कर बाद आगाह जुर्म के जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 08.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु तहरिर मेडिकल ज्युरिष्ट डूंगरपुर के नाम मूर्तिब कर आरोपी को हमराह जाप्ता श्री अरविन्दसिंह हैड कानि एवं श्री बाबुलाल कानि. के साथ मय सरकारी वाहन के भिजवाया गया एवं समय 09.07 पीएम पर श्री अरविन्दसिंह हैड कानि एवं श्री बाबुलाल कानि मय आरोपी सरपंच रमण मीणा के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित होकर आरोपी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो संलग्न पत्रावली की गई। समय 09.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच की जामा तलाशी में मिला मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग आसमानी (आईएमईआई नम्बर 1– 866720058571031 व आईएमईआई नम्बर 2– 866720058571023 तथा सीरियल नम्बर–1360348820002 वी.एल.) जिसमें एयरटेल कम्पनी की एक सिम जिसके नम्बर 9587375144 है, को एक कपडे की थैली में सीलचीट करा मार्क एम–1 अंकित कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर करा वजह सबुत होने से जरिये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया गया। समय 09.20 पीएम उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रमण मीणा पुत्र कचराजी निवासी बोडीगामा बडा तहसील व पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर परिवादी श्री देवीलाल मीणा को ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा के अधीन दीतिया तालाब एवं जलारिया तालाब की स्वीकृति प्रदान करने की एवज में दौराने मांग सत्यापन फर्दन–फर्दन 20 हजार रुपये रिश्वत के ग्रहण करना एवं आज दिनांक 04.10.2023 को शेष रिश्वती राशि 20 हजार रुपये ग्रहण करते हुए रंगे हाथों पकडा जाना आरोपी के विरुद्ध जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित है। मामला हाजा में श्री विनोद कुमार जैन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिकोर्ड एवं पुछताछ से आरोपी सरपंच द्वारा परिवादी श्री देवीलाल को दिया गया लेटर पेड जिस पर मत्स्य पालन का ठेका देने की स्वीकृति प्रदान की गई उक्त लेटर पेड सरपंच द्वारा अपने स्तर पर अवैध रुप से जारी करना स्पष्ट हुआ है। इस संबध में विस्तृत अनुसंधान से ही उक्त लेटर पेड फर्जी होना साबित हो सकेगा। तत्पश्चात समय 09.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर को अपने बचाव पक्ष हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं उक्त ट्रेप कार्यवाही में रिकोर्ड वार्ताओ में आरोपी सरपंच की आवाज होने से आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु तहरिरे पृथक–पृथक एसपीएल–02 व 03 दिनांक 04.10.2023 जारी की गई तो आरोपी सरपंच श्री रमण मीणा द्वारा उक्त दोनो तहरिरों पर पृथक–पृथक अपने बचाव में स्पष्टीकरण पृथक से पेश करने एवं अपने आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं अंकित कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किया जो तहरिरे संलग्न पत्रावली की गई। समय 09.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त सीलचीट शुदा रिश्वती राशि 20 हजार रुपये, सीलचीट शुदा धोवन की शिशियां, सीलबंद सीडीयां, सीलबंद मेमोरी कार्ड, सीलबंद पेन्ट पैकेट इत्यादि श्री गणेशलाल हैड कानि ब्यूरो इकाई बांसवाडा को ब्यूरो इकाई बांसवाडा मालखाना में बाद मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज के रखने हेतु संभलाई गई एवं श्री गणेशलाल हैड कानि के साथ मय ब्यूरो इकाई बांसवाडा का जाप्ता मय सरकारी वाहन के रवाना बांसवाडा किया गया। मामले हाजा में अब कोई कार्यवाही शेष नही है अतः उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को भी बांसवाडा के लिये सरकारी वाहन के साथ

रुखसत किया गया तथा परिवादी देवीलाल एवं श्री विनोद कुमार जैन को भी रुखसत किया गया। तत्पश्चात **समय 09.50 पीएम** पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय पत्रावली एवं रिकोर्ड के सरकारी वाहन तथा श्री गजेन्द्र सउनि, श्री पुष्करलाल हैड कानि, श्री राजेश कुमार कानि मय आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच को ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के सरकारी वाहन मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के उदयपुर के लिये रवाना हुए। तत्पश्चात दिनांक 10–05–2023 को गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रमण मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर को विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात क्र.सं. 1 उदयपुर पेश किया गया जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेसी वारण्ट स्वीकृत करने पर आरोपी रमण मीणा सरपंच को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा जमा रसीद प्राप्त की जांकर संलग्न पत्रावली की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री रमण मीणा पुत्र श्री कचराजी उम्र 38 वर्ष निवासी गांव बोडीगामा बडा तहसील व पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा पंचायत समिति साबला जिला डूॅगरपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग कर परिवादी श्री देवीलाल मीणा को ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा के अधीन दीतिया तालाब एवं जलारिया तालाब की स्वीकृति प्रदान करने की एवज में दौराने मांग सत्यापन फर्दन–फर्दन 20 हजार रुपये रिश्वत के ग्रहण करना एवं दिनांक 04.10.2023 को शेष रिश्वती राशि 20 हजार रुपये ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (यथा संशाधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। मामला हाजा में आरोपी सरपंच द्वारा परिवादी श्री देवीलाल को दिया गया लेटर पेड जिस पर मत्स्य पालन का ठेका देने की स्वीकृति प्रदान की गई उक्त लेटर पेड सरपंच द्वारा अपने स्तर पर अवैध रुप से जारी करना स्पष्ट हुआ है। इस संबध में विस्तृत अनुसंधान से ही उक्त लेटर पेड फर्जी होना साबित हो सकेगा।

(विक्रमसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमण मीणा पुत्र श्री कचराजी, निवासी गांव बोडीगामा बड़ा तहसील व पुलिस थाना साबला, जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत बोडीगामा बडा, पंचायत समिति साबला, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 264/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

5.10.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2887-90 दिनांक 05.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

5.10.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।